न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 861/2024

अनवान : –

1. अदरीश पुत्र सवाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सलामुदीन पुत्र सवाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
2. मनजूरा पत्नी सवाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
3. कलसुम पुत्री सावाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 109/109 की कुल 2.4785 हैक्ट भूमि सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान हो चुका है सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 3 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है तथा प्रतिवादी 2 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की माता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह [illegible] है।

अतः वादी का वाद डिक्री [illegible] वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे [illegible] रिकार्ड में दर्ज करवा [illegible] अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी रोही मौजा ढाणी ब्राहणवासी सम्वत 2073–76 खाता स0 109/109, मृत्यु प्रमाण शिवलाल, चित्रप्रति शपथ पत्र द्वारा अदरीश, चित्रप्रति शपथ पत्र शिवलाल/स्वाल मोहम्मद, सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान हो चुका है सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 3 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है तथा प्रतिवादी 2 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की माता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 109/109 की कुल 2.4785 हैक्ट भूमि सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान हो चुका है सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 3 जो की वादी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है तथा प्रतिवादी 2 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की माता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा एवं सजरा खानदान के अनुसार सवाल मोहम्मद के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 109/109 की कुल 2.4785 हैक्ट भूमि में मृतक सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 861/2024
अनवान : –

1. अदरीश पुत्र सवाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सलामुदीन पुत्र सवाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
2. मनजूरा पत्नी सवाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
3. कलसुम पुत्री सावाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 851 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र केशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता स0 109/109 की कुल 2.4785 हैक्ट भूमि में मृतक सवाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:42 IST
Reason: SelfAttested